भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न सं. 2376
गुरूवार, 12 मार्च, 2026/21 फाल्गुन, 1947 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

साहसिक पर्यटन में सुरक्षा मानकों का संशोधन

2376 श्री राजिन्दर गुप्ता:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार साहसिक पर्यटन, विशेषकर उच्च जोखिम वाली गतिविधियों के लिए, में सुरक्षा मानकों को संशोधित करने की मंशा रखती है, ताकि प्रतिभागियों के कल्याण को प्राथमिकता दी जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सुरक्षा मानकों के प्रवर्तन में किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है; और

(ङ) सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित उपाय, जैसे अनिवार्य बीमा आवरण और प्रभावी निगरानी के लिए राज्य पर्यटन बोर्डों के साथ एकीकरण, क्या-क्या हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) से (ङ): पर्यटकों की सुरक्षा और हिफाजत मूल रूप से राज्य का विषय है।

पर्यटन मंत्रालय ने एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से संपूर्ण भारत में साहसिक पर्यटन क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक और मानकीकृत ढांचा स्थापित करने के उद्देश्य से आदर्श साहसिक सुरक्षा दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इन दिशानिर्देशों को सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को सुरक्षा संबंधी प्रोटोकॉल को अपनाने और उन्हें तैयार करने/अद्यतन करने के लिए भेजा गया है।

सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे साहसिक गतिविधियों से संबंधित सभी पहलुओं पर कड़ी निगरानी रखें और सभी संचालकों द्वारा सुरक्षा नियमों और लाइसेंसिंग मानदंडों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाएं।

*****